जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

बीपीएल, छोटे घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों व स्थाई प्रभार में की गई वृद्वि का भार सरकार द्वारा वहन करने के आदेश जारी –

ऊर्जामंत्री

जयपुर, 9 अगस्त। विनियामक आयोग द्वारा कृषि उपभोक्ताओं व बीपीएल परिवारों एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों व स्थाई प्रभार में की गई वृद्वि का भार सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप वहन करेगी ।

ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 8 अगस्त को जारी टेरिफ आदेश के तहत कृषि के 10.5 लाख उपभोक्ता, बीपीएल के 13 लाख उपभोक्ता एवं 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले 33 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ताओं पर विद्युत दरों में की गई वृद्वि का भार सरकार द्वारा वहन करने के आदेश गुरुवार दिनांक 9.8.2012 को जारी कर दिये गये है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने पूर्व में ही यह घोषणा कर दी थी कि विनियामक आयोग द्वारा कृषि उपभोक्ता के लिए विद्युत दरों में यदि कोई वृद्वि की जाती है तो उसका भार कृषि उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया जायेगा। इन उपभोक्ताओं पर की गई विद्युत दरों में वृद्वि का भार राज्य सरकार वहन करेंगी। इसी घोषणा के अनुरूप राजस्थान सरकार बीपीएल परिवारों, छोटे घरेलू उपभोक्ताओ व कृषि उपभोक्ताओं के लिए लगभग 1300 करोड रूपये सालाना वहन कर रही थी। हाल ही में दिनांक 8 अगस्त, 2012 को विनियामक आयोग द्वारा जारी टेरिफ आदेशों में इन सभी उपभोक्ताओं के लिए दरों में की गई वृद्वि का भार सरकार ने वहन करने के आदेश जारी कर दिए है। अब सरकार ने अनुदान राशि 1300 करोड रूपये से बढाकर इस वर्ष के लिए 2386 करोड़ रूपये व अगले वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 3120 करोड़ रूपये स्वीकृत कर दिए है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से कुल 101 लाख उपभोक्ताओं में से 56.5 लाख उपभोक्ताओं पर विद्युत दरों में की गई वृद्वि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 55 प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 336/2012